# मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
# किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

**वेबसाइट** - www.mpmandiboard.in **ईमेल आईडी** - niyaman.mpsamb@gmail.com

**क्रमांक/बोर्ड/नियमन/अवैध परिवहन/बिछिया/2025/** 2006 **भोपाल, दिनांक** 4 **/11/2025**

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - __________ (समस्त)।

भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
__________ (समस्त)।

विषय - **अवैध परिवहन / मंडी शुल्क अपवंचन के प्रकरणों के संबंध में।**

यह संज्ञान में आया है कि कुछ व्यापारियों / परिवहनकर्ताओं द्वारा अधिसूचित कृषि उपज, विशेषकर मूंगफली, पर देय मंडी शुल्क का अपवंचन किया जा रहा है।

ऐसे मामलों में बिना मंडी शुल्क जमा किए कृषि उपज का परिवहन किया जा रहा है अथवा अनुज्ञापत्रों में कूटरचना (Forgery) कर फर्जी अनुज्ञापत्रों के माध्यम से मंडी शुल्क अपवंचन का प्रयास किया जा रहा है।

ग्वालियर-चंबल संभाग से ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें मूंगफली का परिवहन, बिना मंडी शुल्क भुगतान किए अथवा कूटरचित अनुज्ञापत्रों के माध्यम से किया गया है।

इन प्रकरणों में मंडी समितियों / आंचलिक कार्यालयों के उड़नदस्ता दलों द्वारा निरीक्षण के दौरान ऐसे परिवहन को अवैध परिवहन / कूटरचना (Forgery) कर फर्जी अनुज्ञापत्रों के माध्यम से परिवहन होना पाया गया है। मंडी शुल्क अपवंचन के इन मामलों में धारा 19(4) अंतर्गत दांडिक मंडी शुल्क (5 गुना) की वसूली कर धारा 53 अंतर्गत प्रशमन शुल्क प्राप्त कर प्रकरणों का प्रशमन किया जाना ज्ञात हुआ है।

इस विषय पर दिनांक 03/11/2025 की साप्ताहिक टी.एल. बैठक में सभी संयुक्त संचालकों से चर्चा भी की गई है। यह स्पष्ट किया गया कि जिन प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा द्वेषभावना या जानबूझकर कूटरचना कर मंडी दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है तथा मंडी समिति को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है, उन मामलों में केवल प्रशमन शुल्क प्राप्त कर कार्रवाई समाप्त कर देना पर्याप्त नहीं होगा।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते है—

1. परिवहन के दौरान अनुज्ञापत्र के QR कोड को स्कैन कर उसकी प्रामाणिकता की जांच की जाए।
2. ऐसे किसी भी प्रकरण में, जिसमें अनुज्ञापत्र कूटरचित / फर्जी पाया जाए, अधिनियम की धारा 53 अंतर्गत अपराधों का प्रशमन नहीं किया जाए अपितु वैधानिक कार्यवाही की जाए।
3. धारा 23 के अंतर्गत कार्रवाई:

   धारा 23(3) के तहत संबंधित कृषि उपज को अभिग्रहीत (Seize) कर मंडी समिति के पक्ष में अधिहृत (Confiscate) किया जाए। धारा 23(3) में अपेक्षित औपचारिकता विधिवत रूप से पूर्ण की जाएं।

धारा 23(4) के अनुसार, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित की जाए।

4. संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए।

5. यदि संबंधित व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है, तो संबंधित मंडी समिति को इसकी सूचना प्रेषित की जाए और संबंधित की अनुज्ञप्ति निरस्ती सुनिश्चित की जाए।

6. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंडी शुल्क एवं निराश्रित सहायता शुल्क की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अनुसार निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

**(कुमार पुरुषोत्तम)**
**आयुक्त सह प्रबंध संचालक**
**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**भोपाल**

**क्रमांक/बोर्ड/नियमन/अवैध परिवहन/बिछिया/2025/** 2007 **भोपाल, दिनांक** 5 **/11/2025**

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर प्रबंध संचालक / अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2. प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था हेतु तथा वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3. गार्ड फाइल।

**आयुक्त सह प्रबंध संचालक**
**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**भोपाल**